रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED NO. D (D)-73

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, शनिवार, जून 2, 1979/ज्येष्ठ 12, 1901

No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 2, 1979/JYAISTHA 12, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़ कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 19 मई, 1979

सा० का० नि० 738—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी कार्य विभाग में कनिष्ठ कलाकार पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम कम्पनी कार्य विभाग, कनिष्ठ कलाकार भर्ती नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. नियम शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

2. In the Schedule to the Central Water Commission, Ganga-Brahmaputra System Studies (Group A) Specialist Posts Recruitment Rules 1978, in column II, for the brackets, words and figure "(period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years)", wherever they occur, the brackets and words "(period of deputation shall ordinarily not exceed five years)", shall be substituted

[No. 7/79. F. 39/4/77-Adm. I/Estt.-I]
D. RANGANATHAN, Under Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 19 मई, 1979

सा०का०नि० 759.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "मार्मुगाओ पत्तन के न्यासी मण्डल द्वारा निर्मित और गोवा, दमन और दीव की सरकार के तारीख 23 और 30 नवम्बर, 1978 के राजपत्र में प्रकाशित मार्मुगाओ पत्तन कर्मचारी (अवकाश यात्रा भत्ता) (पहला संशोधन) विनियम, 1978" का अनुमोदन करती है।

[सं० पीईजी (4)/79]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 19th May, 1979

G.S.R. 759.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves of the regulations entitled "the Mormugao Port Employees' (Leave Travel Concession) (First Amendment) Regulations, 1978" made by the Board of Trustees for the Port of Mormugao in exercise of the powers conferred by section 28 read with sub-section (2) of section 124 of the said Act and published in the Official Gazette of the Government of Goa, Daman & Diu, dated the 23rd and the 30th November, 1978.

[No. PEG (4)/79]

सा०का०नि० 760.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मार्मुगाओ पत्तन के न्यासी मण्डल द्वारा निर्मित और गोवा, दमन और दीव की सरकार के तारीख 23 और 30 नवम्बर, 1978 के राजपत्र में प्रकाशित मार्मुगाओ पत्तन कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के बाद नौकरी की स्वीकृति) (पहला संशोधन) विनियम, 1978 का अनुमोदन करती है।

[सं० पी० ई० जी० (6)/79]

G.S.R. 760.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of section 132, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approve of the regulations entitled "the Mormugao Port Employees' (Acceptance of Employment after Retirement) (First Amendment) Regulations, 1978" made by the Board of Trustees of the Mormugao Port in exercise of the powers conferred by section 28, read with sub-section (2) of section 124, of the said Act and published in the Official Gazette of the Government of Goa, Daman and Diu, dated the 23rd and the 30th November, 1978.

[No. PEG(6)/79]

सा०का०नि० 761.—महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशाखापत्तनम पत्तन के न्यासी-मण्डल द्वारा निर्मित और आन्ध्र प्रदेश सरकार के तारीख 25 जनवरी, 1979 और 1 फरवरी 1979 के राजपत्र में प्रकाशित विशाखापत्तनम पत्तन कर्मचारी (मकानों का आवंटन) संशोधन विनियम, 1978 का अनुमोदन करती है।

[सं० पी० ई० वी० 31/79]
राम तिलक पांडेय, अवर सचिव

G.S.R. 761.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approve of the regulations entitled "the Visakhapatnam Port Employees' (Allotment of Residences) Amendment Regulations, 1978"—made by the Board of Trustees of the Visakhapatnam Port in exercise of the powers conferred by section 28 read with sub-section (2) of section 124 of the said Act and published in the Andhra Pradesh Government Gazette dated the 25th January, 1979 and the 1st February, 1979.

[No. PEV-31/79]
R. T. PANDEY, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 मई, 1979

सा०का०नि० 762.—संविधान के अनुच्छेद 309 की व्यवस्था द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए और, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना सं० 11(5)/60-बी(ए) दिनांक 30-11 1964 द्वारा जारी आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी के पद) भर्ती नियमावली, 1964 का अधिक्रमण करते हुए जहां तक कि इन नियमों के क्रम सं० 35, 25 और 11 में दिए गए इंजीनियरी सहायक, मास्टर तकनीशियन और तकनीशियन के पदों का संबंध है, राष्ट्रपति इसके द्वारा आकाशवाणी महानिदेशालय में वर्ग 'ग' के कुछ विशेष पदों को भर्ती को नियमित करने लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :—

1. लघु शीर्ष एवं प्रारम्भ :—(1) इन नियमों को आकाशवाणी (वर्ग 'ग' पद) भर्ती नियमावली, 1979 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. प्रयोग :—ये नियम संलग्न अनुसूची के कालम 2 में बतलाए गए पदों पर लागू किए जाएंगे।

3. संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान इस अनुसूची में बतलाए गए कालम 3 से 5 के अनुसार होंगे।

4 भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं आदि :—पदों से सम्बन्धित भर्ती का तरीका, आयु सीमा, योग्यताएं और अन्य मामले उपर्युक्त अनुसूची के कालम 6 से 14 के अनुसार होंगे।

5. अपात्रता :—कोई भी व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो या करने का करार किया हो, जिसका पति/पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या करने का करार किया हो, इस सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति पर तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है, और ऐसा करने के अन्य कारण है तो व्यक्ति विशेष को इस नियम से छूट दे सकती है ।

6. छूट देने का अधिकार :—यदि केन्द्रीय सरकार यह आवश्यक समझे, जिससे कि लिखित रूप में कारण देते हुए, किसी भी जाति या श्रेणी के व्यक्तियों या पदों के लिए इन नियमों के किसी उपबंधों की छूट का आदेश दे सकती है ।

7. अपवाद :—इन नियमों की किसी बात पर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य विशिष्ट वर्गों के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची

क्रम सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद है या अप्रवरण पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक व अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इंजीनियरी सहायक	1345	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ग' अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय ।	425-15-500-द०-रो०-15-560-20-640-द०रो०-20-700-25-750 रुपये।	अप्रवरण	18-25 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष)	आवश्यक : भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त तीन वर्ष का रेडियो/दूरसंचार इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रानिकी/इलेक्ट्रिकल कम्युनीकेशन इंजीनियरी में डिप्लोमा अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी सहित डिग्री अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में डिग्री या समानान्तर डिग्री अथवा भारत के फिल्म एवं दूरदर्शन संस्थान, पूना का ध्वनि रिकॉडिंग और ध्वनि इंजीनियरी में डिप्लोमा। वांछनीय : बेतार या रेडियो इंजीनियरी की जानकारी।

क्या पदोन्नति के मामले में, सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती का तरीका/सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे गए रिक्त स्थानों की प्रतिशतता।	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में किन वर्गों से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति है तो उसकी रचना किस प्रकार की है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय सं० लो० से०आ० से परामर्श किया जाना है
9	10	11	12	13	14
नहीं	दो वर्ष	80% सीधी भर्ती द्वारा 10% पदोन्नति द्वारा 10% सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा।	पदोन्नति : आकाशवाणी में वरिष्ठ तकनीशियन रेडियो तकनीशियन और तकनीकी सुपरवाइजर के संयुक्त संवर्ग में इस ग्रेड या उच्च ग्रेड में कुल पांच वर्ष के अनुभव वाले।	चयन समिति (1) क्षेत्रीय इंजीनियर—अध्यक्ष (2) स्थानीय आकाशवाणी के केन्द्र निदेशक—सदस्य	लागू नहीं।

9	10	11	12	13	14
			सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा आकाशवाणी में वरिष्ठ तकनीशियन, रेडियो तकनीशियन और तकनीशियन सुपरवाइजर के संयुक्त संवर्ग में से इस ग्रेड या उच्च ग्रेड में कुल पांच वर्ष का अनुभव रखने वाले।	(या केन्द्र निदेशक द्वारा नामित अथवा अतिरिक्त केन्द्र निदेशक) (3) विश्वविद्यालय या आई० आई० टी० मद्रास तकनालोजी संस्थान में भौतिकी, इलेक्ट्रानिकी या इलेक्ट्रिकल दूर संचार इंजीनियर के प्रोफेसर या आकाशवाणी के अवकाश प्राप्त वरिष्ठ इंजीनियरी अधिकारी (4) डाक और तार विभाग (संचार स्कंध) या समुद्रपारीय सेवाओं से वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी जिसका पद कम से कम डीविजनल इंजीनियरी या समकक्ष हो। विभागीय पदोन्नति समिति (1) क्षेत्रीय इंजीनियर—अध्यक्ष (2) केन्द्र इंजीनियर के ग्रेड का कोई अधिकारी (जो क्षेत्रीय इंजीनियर के कार्यालय का न हो) (3) केन्द्र निदेशक (या स० के० नि० या जहां क्षेत्रीय इंजीनियर का मुख्यालय है उस केन्द्र के निदेशक द्वारा नामित सदस्य)—सदस्य (4) अपेक्षित तकनीकी सक्षमता रखने वाले समुचित स्तर के किसी दूसरे विभाग के अधिकारी।	

1	2	3	4	5	6	7	8
2	मास्टर तकनीशियन	30	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ग' अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	380-12-500-द० रो-15-560	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक छूट)	(क) 8वीं कक्षा पास और साधारण अंग्रेजी पढ़ने व लिखने लायक हो। (ख) उच्च स्टील स्ट्रक्चर्स की असेम्बली, इरेक्शन, रिपेयर, पेंटिंग में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव। अच्छे फिटर या लोहार का अनुभव रखने वाला अच्छा मेकैनिक।

1	2	3	4	5	6	7	8
							(ग) उम्मीदवारों के लिए निम्न-लिखित वांछनीय हैं :— (1) इरेक्शन और रिपेयर आदि का काम करने के लिए ऊंचे मस्तूलों पर चढ़ने के लिए अच्छी तंदुरुस्ती, प्रशिक्षण व सक्षमता। (2) मस्तूलों को जोड़ने व मस्थापन को मैकेनिकल बुद्धि। (3) मास्ट के विभिन्न पुर्जों डेरिक, विंचेज की संस्थापना और उनको लगाने से संबंधित काम की पर्याप्त जानकारी। (4) गाई टैंशज के समायोजन निर्धारण ऐलाइनमेंट प्रक्रिया की जानकारी।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(1) कार्यालय अध्यक्ष (या उसके द्वारा नामित किसी समुचित स्तर का अधिकारी—अध्यक्ष (2) केन्द्र/कार्यालय का/कि अधिकारी जो भर्ती किए जाने वाले पद के कार्यों से परिचित हों —सदस्य (3) अपेक्षित तकनीकी सक्षमता वाले समुचित स्तर के किसी दूसरे विभाग का अधिकारी—सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
3	तकनीशियन	637	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ग' अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	330-8-370-10-400-द०रो०-10-480 रुपये।	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक की छूट)	I मैट्रिकुलेशन या समानांतर और (क) आई० टी० आई० से रेडियो या इलैक्ट्रानिकी में 2 वर्ष का अनुभव या प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव। या (ख) आई० टी० आई० से 1 वर्ष का व्यावसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद एयर कंडीशनिंग और रेफ्रीजरेशन मकैनिक का दो वर्ष का अनुभव। या

1	2	3	4	5	6	7	8
							(ग) वायरमैन या मकैनिक या इलेक्ट्रिशियन या फिटर के लिए किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से डिप्लोमा या सक्षमता का प्रमाणपत्र जो इस शर्त के अधीन हो कि उम्मीदवार ने किसी प्रतिष्ठित संस्थान से इलेक्ट्रिकल लायसेंस डिप्लोमा लिया है और निम्नलिखित में कम से कम दो वर्ष का अनुभव भी है : 1. खराद का काम 2. बढ़ई का काम 3 इलेक्ट्रिक वायरिंग सोल्डरिंग 4. फिटिंग एवं प्लंबिंग 5. इन्टर्नल कम्बसशन इंजन।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न होने पर स्थानांतरण द्वारा।	स्थानांतरण आकाशवाणी के अन्य क्षेत्रों में इसी तरह के या समानांतर पदों पर कार्य कर रहे व्यक्ति।	(1) कार्यालय अध्यक्ष (या उसके द्वारा नामित कोई समुचित स्तर का अधिकारी)—अध्यक्ष (2) केन्द्र के अधिकारी/जिस पद के लिए भर्ती की जा रही है, उस कार्य से परिचित अधिकारी —सदस्य (3) किसी अन्य विभाग का अधिकारी जिसके पास अपेक्षित तकनीकी सक्षमता रखता हो और समुचित स्तर का हो —सदस्य	लागू नहीं होता।

[सं० 704/11/77-बी (डी)]
सी० कृष्णन्, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 10th May, 1979

G.S.R. 762.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, so far as they relate to the posts of Engineering Assistant, Mast Technician and Technician, appearing at serial number 35, 25 and 11 respectively, of the aforesaid rules, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'C' posts in the Directorate General of All India Radio, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the All India Radio (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application :—These rules shall apply to the posts specified in column 2 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number, classification and scales of pay :—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in column 3 to 5 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc. :—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in column 6 to 14 of the Schedule afore aid.

5. Disqualification :—No person .—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to Relax :—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7 Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Engineering Assistant	1345	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-640-EB-20-700-25-750.	Non-selection	18-25 years (Relaxable upto 35 years for Government servants).	Essential:— Three year Diploma in Radio/Telecommunications/Electrical/Electronics/Electrical Communication Engineering recognised by the Government of India; OR Degree with Physics as one of the subjects from a recognised University; OR Degree in Electrical Engineering from a recognised University or equivalent degree ; OR Diploma in Sound Recording and Sound Engineering awarded by the Film and T.V. Institute of India, Poona. Desirable: Knowledge of Wireless or Radio Engineering.

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruitment will apply in the case of promotion.	Period of probation in any.	Method of rectt. whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee/Selection Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
9	10	11	12	13	14
No	Two years.	80 percent by direct recruitment. 10 per cent by promotion. 10 per cent through limited departmental competitive examination.	Promotion : From amongst combined cadre of Senior Technician, Radio Technician and Technicial Supervisor in the All India Radio with five years total service in the grade or in a higher grade. Limited Departmental Competitive Examination from amongst combined cadre of Senior Technician, Radio Technician and Technical Supervisor in the	Selection Committee : (i) Regional Engineering—Chairman (ii) Station Director of the local Station in All India Radio (or Additional Station Director if nominated by Station Director)—Member (iii) Professor of Physics, Electronics or Electrical Telecommunication Engineering in a University or I.I.T./Madras	Not applicable

9	10	11	12	13	14
			All India Radio with five years total service in the grado or in a higher grade.	Institute of Technology —Member. OR Retired Senior Engineering Officer of All India Radio. (iv) A Senior Technical Officer not lower in rank than Divisional Engineer or equivalent, from either P&T (Communications Wing) or Overseas Communication Service —Member. Departmental Promotion Committee : (i) Regional Engineering —Chairman. (ii) An Officer of Station Engineers' grade (other than the ono belonging to the office of Regional Engineer) —Member. (iii) Station Director (or Assistant Station Director nominated by the Station Director) of the Station at which headquarters of the Regional Engineering is situated—Member. (iv) An Officer of another Department of appropriate level having requisite technical competence—Member.	

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Mast Technician	30	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 380-12-500-EB-15-560.	Not applicable.	18-25 years (Relaxable upto 35 years for Government servants).	(a) Passed Eighth standard and able to read and write simple English. (b) A minimum experience of 2 years in the assembly, erection, repair, painting of high steel structures. Good Mechanic having experience as a fitter or a black-smith. (c) The candidates should have, (i) Good Physique and training and capacity to climb high masts for carrying out erection, repair work, etc. (ii) Mechanical sense in respect of assembly and installation of masts. (iii) Sufficient knowledge in respect of handling up of mast members, Installation and erection dericks, winches. (iv) Knowledge of alignment procedure and determination and adjustment of guy tensions.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	(1) Head of the office (or an Officer of appropriate level nominated by him)—Chairman. (2) Officer(s) of the Station/Office familiar with the work of the post to which recruitment is being made —Member. (3) An Officer of another Department of appropriate level having requisite technical competence—Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Technician	637	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 330-8-370-10-400-EB-10-480.	Not applicable.	18-25 years (Relaxable upto 35 years for Government servants).	I. Matriculation or equivalent and (a) A two-year trade certificate from an I.T.I. in Radio or Electronics, or Electrician with one year practical experience after obtaining the certificate. OR (b) A one-year trade certificate from an I.T.I. as Air Conditioning and Refrigeration Mechanic with two years experience after obtaining the certificate. OR (c) A certificate of competency or a diploma from recognised Institution for Wireman Mechanic or Electrician or Fitter Mechanic subject to the condition that the candidate possesses suitable Electrical licence with at least two years experience in a reputable workshop in one of the following : 1. Lathe work. 2. Carpentary. 3. Electric Wiring Soldering. 4. Fitting & Plumbring 5. Internal Combustion Engine.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years	By direct recuirtment failing which by transfer	Transfer : Persons working in analogous or equivalent posts from other zones of All India Radio	(1) Head of the office (or an officer of appropriate level nominated by him)—Chairman. (2) Officer(s) of the Station/Office familiar with the work of the post to which recruitment is being made. —Member. (3) An Officer of another Department of appropriate level having requisite technical competence—Member.	Not applicable

[No. 704/11/77-B(D)]

V. KRISHNAN, Under Secy.